न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00139 **दायरा दिनांक : 22.07.2019**

उनवान

माफी मन्दिर श्री महादेव जी ग्राम बन्या जर्ये संरक्षक निहाल बाई पत्नी नारायणपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी ग्राम बन्या, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

सुरेन्द्र पुत्र रामकुंवार, जाति धाकड, निवासी ग्राम बन्या, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री एन.के.गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 10.06.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या 439/प्रा0पत्र/2015 निर्णय दिनांक 10.07.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थी की कृषि आराजी ग्राम बन्या, तहसील खानपुर की खसरा नम्बर 94/798 रकबा 5.15 बीघा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 10.07.2019 को प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया तथा अप्रार्थी नं. 1 को ताफैसला प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि ग्राम बन्या की खसरा नम्बर 94/798 पर आने जाने के लिये गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 151 से चलकर खसरा नम्बर 95 की दक्षिणी व खसरा नम्बर 92 की उत्तरी मेड़ पर 12 फीट चौडाई से प्रार्थी के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें और न ही ऐसा अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट के खाते खसरा नं. 92 की आराजी में 12 फुट चौड़े रास्ते से निकलने बाबत आदेश पारित कर दिया। यह आदेश मूल प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) के निर्णय की तारीफ में आता है। कानूनन इस प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता, जिससे कि मूल निर्णय होना ही प्रतीत हो। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251 (क) के प्रावधानों में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को धारा 251 (क) के प्रार्थना पत्र पर नियमों के तहत सक्षम राजस्व अधिकारी की रास्ते के मामले में मौके की रिपोर्ट मंगाकर व दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर ही मूल प्रार्थना पत्र पर ही निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों की भी ओर कोई उचित गौर नहीं फरमाया, कानूनन खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अपीलांट के खाते की आराजी में होकर रेस्पोडेंट को स्टे की आड़ में जबरन नया रास्ता बनाकर निकलने का कोई अधिकार नहीं है। इस कानूनी बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं फरमाया। रेस्पोडेंट को अपने खेत पर जाने के लिए सरकारी रास्ते में होकर खाल की पाल पर होते हुए सरकारी डोहली में होकर रास्ता उपलब्ध है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी कोई उचित गौर नहीं फरमाया। जब तक धारा 251 (ए) के प्रार्थना पत्र का निर्णय नहीं हो जाता तब तक रेस्पोडेंट को अपीलांट के खाते की आराजी में होकर निकलने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अप्रार्थी निहाल बाई के नाम से

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पेश किया है जबकि खातेदार माफी मन्दिर श्री महादेव जी है, इसलिए इसी नाम से अपील प्रस्तुत है। खसरा नम्बर 95 के खातेदारान को भी पक्षकार नहीं बनाया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.07.2019 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ धारा 151 सी पी सी के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ धारा 151 सी पी सी के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अपील अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के निर्णय दिनांक 10.07.2019 के विरुद्ध धारा–225 आर. टी. एक्ट के तहत पेश की गई है। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट (प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार) के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251 (क) राज. टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी अपने खाते की आराजी 94/798 की 5 बीघा 15 बिस्वा आराजी पर आने–जाने के लिये खसरा नम्बर 151 से चलकर खसरा नम्बर 95 की दक्षिण एवं 92 की उत्तरी मेड़ से आता जाता रहा है। परन्तु अप्रार्थी अवरोध पैदा करती है, इसलिए रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 10.07.2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया और अपीलान्ट की आराजी में से 12 फुट चौड़े रास्ते का आदेश कर दिया और रास्ते में अवरोध न करने बाबत् अपीलान्ट को पाबंद कर दिया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.07.2019 के आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

यह निर्विवादित है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251 (क) सन् 2015 से जेरकार है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को धारा–251 (क) के प्रार्थना पत्र को नियमों के अनुसार संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत निस्तारण कर देना चाहिए। परन्तु इतने लम्बे अर्से तक भी निस्तारण नहीं किया गया है और कानूनी प्रावधानों के विपरीत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर लिया गया है, जो अवैधानिक है।

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा में ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है जिससे कि मूल प्रार्थना पत्र का ही निर्णय होना प्रतीत होता हो। इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया ।

अधीनस्थ न्यायालय ने धारा–212 आर. टी. एक्ट के प्रार्थना पत्र के निर्णय में जिन खसरा नम्बर–95 व 92 की मेड़ पर होकर 12 फीट चौड़े रास्ते के मामले में पाबंद किया है। ये दोनों खसरा नम्बर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के खाते में नहीं है और इन खसरा नम्बरान से सम्बंधित राजस्व अभिलेख में या नक्शे में कोई राजकीय रास्ता अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा–251–ए के निर्णय के पूर्व ही रास्ते के मामले में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। कानूनन रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा नम्बर 95 व 92 का खातेदार नहीं है। कानूनन खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। रास्ते के मामले में अवरोध उत्पन्न होने बाबत् या रास्ता खुलासा करने के मामले में पृथक से प्रावधान है जिनके तहत तहसीलदार या सिविल न्यायालय ही सक्षम है।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा–212 आर. टी. एक्ट के प्रावधानों की ओर कोई गौर नहीं फरमाया। रेस्पोडेन्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में धारा–251 (क) आर.टी. एक्ट के प्रावधानों के विपरीत नया रास्ता बना कर निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। रेस्पोडेन्ट को अपने खेत पर जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो खसरा नम्बर–92 की पश्चिम मेड में होकर खसरा नम्बर–93 व 94 की दक्षिण मेड़ पर होते हुये है। इस ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया है।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि निर्णय दिनांक 10.07.2019 निरस्त फरमाया जावे एवं अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2012 (1) पेज 518 व आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 1088 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपील मेन्टेनेबल नहीं है, क्योंकि मूल प्रार्थना पत्र मे 27 पक्षकार है जिन्हे पक्षकार नहीं बनाने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार कर निर्णय पारित किया। मेरे खेत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1982 पेज 312 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेंट ने धारा 251 ए में प्रार्थना पत्र दायर किया जो सन् 2015 से लम्बित है। हमारे राय में कानूनी प्रावधानों के अनुसार धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् निर्णय संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया (Summary Trial) के तहत् किया जाना चाहिए। उक्त प्रार्थना पत्र 9 वर्ष तक लम्बित रहना त्रुटिपूर्ण है। प्रकरण में राशि अदा कर नया रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकन करने का प्रकरण प्रस्तुत हुआ, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता अंकित नहीं होने के बावजूद धारा 251 ए में निर्णय पारित नहीं कर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में रास्ते पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी। हमारी राय में खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व ठोस साक्ष्य की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट हुए बिना ही एवं स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किये बिना मात्र प्रार्थी/रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र के आधार पर 12 फीट चौडे रास्ते की उपधारणा करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.07.2019 त्रुटिपूर्ण एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2019 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि स्वंय मौका निरीक्षण कर आवश्यक रूप से आगामी तीन माह में निर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/06/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा